



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014  
(PHALGUNA 1, 1935 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 20th February, 2014

**No. 4—HLA of 2014/5.**—The Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 4—HLA of 2014**

### THE HARYANA REGISTRATION AND REGULATION OF SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

*further to amend the Haryana Registration and Regulation of  
Societies Act, 2012.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Act, 2014. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 26th March, 2012.

Amendment of  
section 32 of  
Haryana Act 1 of  
2012.

2. In section 32 of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012,—

(a) in sub-section(1)—

- (i) in the proviso, for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
- (ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that if on redetermination of the membership, the number of members is restricted to three hundred or less, the same shall constitute General Body of the Society.”; and

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) Where the membership of a Society under clause (i) or (ii) of sub-section (1) exceeds three hundred, the Governing Body shall prepare a scheme of determination of the electoral colleges in accordance with such principles, as may be prescribed, for holding elections to the Collegium and place the same for consideration of its members as a special resolution with consequential amendments to its bye-laws.”.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 was notified on 28th March, 2012 *vide* No. Leg.3/2012 and came into force *w.e.f.* 29th March, 2012 *vide* Notification No. S.O. 26/HA 1/2012/S. 1/2012 dated 29th March, 2012.

2. The implementation of the Registration and Regulation of Societies Act, 2012 in the State of Haryana is being carried out through the Registrar General, State Registrar and the District Registrars appointed in this behalf. During the initial period of the implementation of the Act and the Rules made thereunder, feedback was received from various stakeholders pointing out the difficulties being faced at various levels in its implementation.

3. The said feedback was taken into consideration and it became imperative to introduce certain amendments in the Act, so as to make the same compatible with the objective. Therefore, first amendment in the Act was brought, which was notified *vide* Notification No. Leg. 25/2013 dated 8th October, 2013.

4. Since there is always a scope of improvement in the provisions of any Act, with the experience at the implementing level, some more suggestions were received in this behalf. Pursuant to the discussion with the Law and Legislature Department Haryana, further amendments in the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 are proposed.

5. This Bill provides for amendment in Section 32 of the said Act and seeks to establish a better frame work with the objective to provide clear guidelines for smooth administration and management of the affairs of the Societies registered under this Act in the State of Haryana.

\_\_\_\_\_  
RANDEEP SINGH SURJEWAL A,  
Industries & Commerce Minister, Haryana.

Chandigarh :  
The 20th February, 2014.

SUMIT KUMAR,  
Secretary.

[ प्राधिकृत अनुवाद ]

2014 का विधेयक संख्या 4— एच० एल० ए०

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2014

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा  
प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है।

(2) यह 26 मार्च, 2012 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2012 का हरियाणा  
अधिनियम - 32 की धारा  
32 का संशोधन।

2. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 की धारा 32 में,—

(क) उप-धारा (1) में,—

(i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्

“परन्तु यह और कि यदि सदस्यता के पुनः अवधारण पर, सदस्यों की संख्या तीन सौ या से कम निर्बन्धित है, तो वह सोसाइटी की सामान्य निकाय गठित करेगी।”, और

(ख) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) जहां उप-धारा (1) के खण्ड (i) या (ii) के अधीन सोसाइटी की सदस्यता तीन सौ से अधिक है, वहां शासकीय निकाय कॉलिजियम के निर्वाचन करवाने के लिए यथा विहित ऐसे नियमों के अनुसार निर्वाचकगण के अवधारण की स्कीम तैयार करेगी तथा उसे इसकी उपविधियों के परिणामिक संशोधन सहित विशेष संकल्प के रूप में इसके सदस्यों के विचारण के लिए रखेगी।”।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 की अधिसूचना 28 मार्च, 2012 को नं० लेज 3/2012 को अधिसूचित किया गया था व यह 29 मार्च, 2012 को अधिसूचना नं० का०आ० 26/ह०अ० 1/2012/घा० 1/2012 से लागू हो गया था।

2. हरियाणा राज्य में सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण व विनियमन अधिनियम, 2012 रजिस्ट्रार जनरल, स्टेट रजिस्ट्रार व जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से लागू किया जा रहा है। लागू करने के आरम्भिक समय के दौरान सम्बन्धित माध्यमों से विभिन्न प्रश्न व पुनर्निवेशन प्राप्त हुए थे जिनमें कि प्रावधानों को लागू करने में आई कठिनाइयों का वर्णन किया गया था।

3. उपरोक्त प्रश्न व पुनर्निवेशन विचार विमर्श के पश्चात् यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जाए। तदानुसार अधिनियम में पहला संशोधन लाया गया जोकि अधिसूचना नं० लेज० 25/2013 दिनांक 8 अक्तूबर, 2013 द्वारा अधिसूचित किया गया।

4. क्योंकि किसी भी अधिनियम में लागू करने के स्तर पर हुए अनुभव के आधार पर हमेशा एक सुधार की गुंजाइश होती है, इस सन्दर्भ में कुछ और सुझाव प्राप्त हुए। जिंश एवं विधायी विभाग, हरियाणा से विचारविमर्श उपरान्त हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 में आगे संशोधन प्रस्तावित है।

5. यह बिल हरियाणा राज्य में इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों के प्रशासन व प्रबन्धन को चलाने हेतु स्पष्ट निर्देशों को प्रदान करने के उद्देश्य से एक बेहतर साधन की स्थापना करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 32 में आवश्यक संशोधन प्रदान करता है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,  
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 20 फरवरी, 2014

सुमित कुमार,  
सचिव।